कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़

'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

E-Mail ID-atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com, Web- www.cgtransport.org

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 01/09/2017

क्रमांक 3001 /स्था–04/सीधी भर्ती/टीसी/2017 ::: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चयन सूची क्रमांक–163/14/चयन/2017, दिनांक 25–04–2017 द्वारा परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अनन्तिम (**provisional**) रूप से वेतन बैंड 5200–20200+ग्रेड वेतन 2800/– (तद्नुसार सातवें वेतनमान हेतु लागू वेतन) पर नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक परिवहन आयुक्त कार्यालय नया रायपुर में पदस्थ किया जाता है ।

स. क्रं	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम व पिता का नाम	स्थायी पता	श्रेणी
1	1	श्री अतुल तिवारी आत्मज– श्री धरमपाल तिवारी	बेलसरी नाका मेन रोड़, पो.आ.– तखतपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग) पिनकोड– 495330	अनारक्षित
2	2	श्री संतोष कुमार राठौर आत्मज– श्री शिव कुमार राठौर	रेल्वे क्रासिंग के पास सोंठी, तहसील– सक्ती, जिला– जांजगीर चांपा (छ.ग) पिनकोड 495689	अपिव
3	3	श्री मो. आबिद खान आत्मज– स्व.श्री मो.अमानत खान	सियाराम शिवालय के सामने, एस.बी.आई रोड़, जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग) पिनकोड– 494001	अनारक्षित
4	5	श्री सुजीत कुमार सिन्हा आत्मज– श्री कौशल कुमार सिन्हा	पता– भूमि आटो, न्यू मार्केट, पी.टी.पी.एस. पतरातु, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) पिनकोड– 848302	अनारक्षित
5	6	श्री पुष्पेन्द्र कुमार आत्मज– श्री युवराज सिंह	145–ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग) पिनकोड–491107	अपिव
6	8	श्री मिथलेश वर्मा आत्मज– श्री राम कुमार वर्मा	ग्राम व पोस्ट– गनीयारी व्हाया–खरोरा, जिला– रायपुर (छ.ग) पिनकोड– 493225	अपिव

01/9/17

7	10	कुमारी अरूणा साहू आत्मजा– श्री अवधराम साहू	बोरीगारका, पोस्ट– पाऊवारा, थाना– उतई जिला– दुर्ग (छ.ग) पिनकोड– 491107	अपिव
8	12	श्री जितेन्द्र भूषण, आत्मज– श्री प्रेम लाल बनर्जी	फलैट क. 403, टावर–2, ओ.पी. जिंदल हाउसिंग कालोनी, घरघोडा रोड़, पुंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग) पिनकोड– 496109	अजा
9	13	कुमारी पारूल ठाकुर आत्मजा– श्री जी.एस. ठाकुर	बलराम टॉकिज के पास गांधी नगर, बिलासपुर (छ.ग) पिनकोड– 495001	अनारक्षित
10	14	श्री नितिन सिंह आत्मज– श्री वीर नारायण सिंह	171/क, गंगापुर खुर्द, तुलसी बाबा चौक के पास अंबिकापुर जिला– सरगुजा (छ.ग) पिनकोड– 497001	अजजा
11	15	श्री रविन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज– श्री श्याम लाल ठाकुर	मकान कं.–16/ए, पुराना कचहरी पारा, पोस्ट+तह.–कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग) पिनकोड– 491995	अजजा
12	16	श्री डूमेश कुमार ठाकुर आत्मज– श्री घनश्याम सिंह ठाकुर	ग्राम–माटेकटा, पो–मुरमुंदा, तह– डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव (छ.ग) पिनकोड– 491445	अजजा
13	17	श्री आदित्य नारायण भोई आत्मज– श्री कृष्ण कुमार भोई	म.नं.–236, सिदार मोहल्ला मेन गली, नगर पंचायत डभरा, थाना– डभरा, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग) पिनकोड– 495688	अजजा
14	18	श्री प्रवीण कुमार ध्रुवे आत्मज– श्री बी. एस. ध्रुवे	नं.–21/ए, सड़क नं.–12, सेक्टर–02,भिलाई नगर जिला– दुर्ग (छ.ग) पिनकोड– 490001	अजजा
15	19	कुमारी प्राची वर्मा आत्मजा– श्री रमेश कुमार वर्मा	शिवोम विहार कालोनी, रामकृष्ण इंस्टीट्यूट के पीछे, महादेव घाट जिला– रायपुर (छ.ग) पिनकोड– 492013	अपिव
16	20	कुमारी चॉदनी कॅवर आत्मजा– श्री शिवशरण सिंह कॅवर	टेलीकॉम कालोनी, टाइप 3/9, राजकिशोर नगर, बिलासपुर (छ.ग) पिनकोड– 495001	अजजा

01/9/17

शर्तें :-

(1) यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (**provisional**) है । जाति, निवास, शैक्षणिक , चरित्र सत्यापन,स्वास्थ्य आदि प्रमाण पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है।

(2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गयी जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी । जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा।

(3) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

(4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम–1988 के नियम–12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

(5) यह नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा इस अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।

(6) शासकीय /अर्द्ध शासकीय विभागों में कार्यरत् अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(7) कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण–पत्र (जैसे– मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण–पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा ।

(8) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त परिवहन उपनिरीक्षक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 से शासित होंगे।

(9) उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय " मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे । मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने का दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

(10) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक शपथ–पत्र शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक शामिल को वापस करना होगा ।

01/9/17

(11) चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी ।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।

(13) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(14) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

(15) इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

(प्रमुख सचिव, सह–परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

01/9/17

(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ. क्रं 3009 A /स्था–04/सीधी भर्ती/टीसी/2017 नया रायपुर, दिनांक 01/09/2017

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. अवर सचिव (परीक्षा), छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 260/14/चयन/2017, दिनांक 01–05–2017 के संबंध में ।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
7. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
8. सिटी कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर ।
9. लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर ।
10. लेखा शाखा, परिवहन आयुक्त कार्यालय नया रायपुर ।
11. संबंधित ....

12. आदेश की नस्ती ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01/9/17

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

The Governor of Chhattisgarh

WHERE IS.I..

S/O..............................R/O...

..................Probationer in the State Transport Service (Hereinafter referred to as the probationer) being entitled to receive from the Governor (Hereinafter referred to as the State Government) Pau and allowance during the period in which I am under probation.

Now we, the probationer...

S/O..R/O..

Shri..and

....(Surety)

s/O.................................R/O............................(hereinafter referred to as surety) Jointly and severally. Do hereby promise and agree in the event of the Failure of the probationer to complete probation to the satisfaction of the State Government. To refund the State Government on demand any money paid to him during his probation period including the pay and traveling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected. by the State Government extending the period of probation or giving the probationer and extention of time for payment of compounding the amount hereunder-

"Stamp duty payable or this bond shall be borne and paid by the Government.

Dated this...............................day of................................20

Signature of probationer..

Full Name..

Signed by probationer in the presence of

Name of witness ....

&

Signature...

Address...

....

Occupation..

Name and signature of the surety..

Signed by surety in the presence of;

Name of witness...

&

Signature...

Address...

Occupation..